

19/8/2025 आज यह पत्रावली वकील कादीगण

के प्रार्थना पत्र पर लख की गरी वकील
कादीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिना ही
पक्षकारों के प्रथम गांव के जतिष्ठ
व्यक्तियों में राजीनामा करवा दिया है
कादीगण अब मुकदमा लड़ना नहीं चाहे
है। Not Press में खारिज
कराया जा रहा है।


श्रीवाचमाना
नती चारत
Not Press

Sunday
19.8.25

विषयार्थ है अतः मुकदमा 05/2025 उनवानी

उदयचन्द उदयचन्द वगम रामनिवास वगैर
दावा बाबत स्थायी निवेद्यादा को
Not Press में खारिज किया जाता है।

पिन्डू



पार्कती

पत्रावली फैलल सुभाट होकर बाद
लक्ष्मील नम्वर से काम की जाकर
दाखिल दफतर हो।

आदेश खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोन सिटी (करोली)